## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**अपील संख्या : 16/548**

1. भंवर लाल आत्मज पन्नालाल आयु 87 वर्ष जाति लश्करी निवासी पुरोहित जी की टापरी कोटा ।
2. भीमराज आत्मज पन्नालाल आयु 60 वर्ष जाति लश्करी निवासी ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बंशीलाल आत्मज पन्ना लाल आयु 55 वर्ष जाति लश्करी निवासी अम्बेडकर नगर मं0 न0 350 कुन्हाडी, कोटा ।

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री इकबाल हुसैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 25.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम बोरिया खेडी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 104 की 2.03 हैक्टर भूमि दर्ज है । उक्त भूमि के पूर्व में खसरा नम्बर 54 की 15 बीघा 01 बिस्वा आराजी प्रार्थीगण के पिता श्री पन्ना लाल जी के नाम दर्ज थी । सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 104 रकबा 2.03 हैक्टर दर्ज किया जबकि गत रकबे के अनुसार भूमि को हैक्टर में बदलने पर 2.41 हैक्टर दर्ज होना चाहिए था । सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थीगण के खाते में 0.38 हैक्टर भूमि कर दर्ज कर जिनका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 104 रकबा 2.03 हैक्टर को दुरूस्त कर उसे 2.41 हैक्टर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.05.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण के खाते में खसरा नम्बर 104 की 2.03 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है । सेटलमेंट द्वारा उक्त भूमि का रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा के अनुसार 2.41 हैक्टर बनता है उसके स्थान पर 2.03 अर्थात् 0.38 हैक्टर कम दर्ज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय पारित करते हुए दावा खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित निर्णय की अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से खारिज किया है । धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित निर्णय की अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर हम अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है ।

11. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा